5/8/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील आवेदक ने अधि० अन की धारा 5 के तहत दाखिल किया है। पत्रावली नाम्ने गत, आदेशानुसार दिनांक 6/8/20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

6/8/20 [illegible] पत्रावली पेश हुई। श्री [illegible] महोदय द्वारे/प्रार्थी [illegible] अग्रिम कार्यवाही दिनांक 11/8/20 को पेश हो।

पीठासीन

11/8/20 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील आवेदक को बार-बार अवसर देने के उपरांत जवाब प्राप्त पत्र मौका मुआयना पेश नहीं किया। अतः जवाब प्राप्त पत्र बंद किया जाता है। पत्रावली नाम्ने बहस प्राप्त पत्र मौका मुआयना हेतु दिनांक 17/8/20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

17/8/20 पत्रावली पेश हुई। आवेदक द्वारा स्वयं प्राप्त पत्र वाद विड्रा करने की स्वीकृति हेतु पेश किया। प्राप्त पत्र सुना गया। प्राप्त पत्र निर्णय दिनांक 1.9.20 को किया गया। मुताबिक निर्णय आवेदक को अपना प्राप्त पत्र बाबत आराजी निजेधारा बकी स्तर पर विड्रा प्रत्याहरण करने की स्वीकृति दी गई है। लिहाजा प्राप्तपत्र आराजी निजेधारा बकी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बैकाल कुमार ठोकुर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील अपना दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner